न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीसागंन (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी — श्री समदरसिंह भाटी आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र संख्या — 14/2019

श्री दशरथ उर्फ शंभू पुत्र श्री हरदेव प्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम नाड तहसील पीसागंन जिला अजमेर हाल निवासी – 460 , पी डब्लू डी एच – 33 क्वाटर के सामने , वार्ड नम्बर 49 अजमेर जिला अजमेर

.....प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदर पीसागन जिला अजमेर।
2. राधा पत्नि हरदेव
3. नोरत पुत्र हरदेव

दोनों जाति जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम नाड तहसील पीसागंन जिला अजमेर हाल निवासी – 460 , पी डब्लू डी एच – 33 क्वाटर के सामने , वार्ड नम्बर 49 अजमेर जिला अजमेर

... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा0 भू0 रा0 अधिनियम 1956

उपस्थित :– श्री सर्वेश्वर प्रसाद सिंह राठौड श्री पुष्पेन्द्र सोनी – अभिभाषक प्रार्थी
श्री किशनाराम चौधरी – सरकार पेरोकार

–: निर्णय :– दिनांक 12.06.19

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने जरिये अभिभाषक के यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा0 भू0 रा0 अधिनियम 1956 का अप्रार्थीगण के विरूद्व इस तथ्य के साथ प्रस्तुत किया कि ग्राम नाड तहसील पीसागंन जिला अजमेर अवस्थित खाता संख्या 146 नया 144 के खसरा नम्बर 394 रकबा 0.79 की प्रार्थी को जरिये विरासत प्राप्त हुयी है। प्रार्थी का असल व सही नाम दशरथ वल्द हरदेव प्रसाद है लेकिन आम बोलचाल में वादी को दशरथ व शंभू दोनो नामो से पुकारते थे इस कारण राजस्व द्वारा प्रार्थी की पुश्तैनी आराजी में प्रार्थी के असल नाम के बोलता नाम शंभू लिख दिया गया जबकि प्रार्थी का स्कूल रिकार्ड , परिचय पत्र , राशनकार्ड व आधारकार्ड व सभी दस्तावेजों में दशरथ वल्द हरदेव प्रसाद नाम है। प्रार्थी व उसका परिवार ही उक्त भूमि की सार संभाल वर्षों से अपने पूर्वजों के समय से करता आ रहा है एंव खाने कमाने बाहर चले जाने के कारण और प्रार्थी का बोलता नाम जमाबदीं मे लिखे होने के कारण आज दिनांक तक प्रार्थी द्वारा कोई नाम दुरूस्त करवाने बाबत नहीं की गयी।

अतः प्रार्थी की खातेदारी भूमि खाता संख्या 146 नया 144 पुराना में प्रार्थी का नाम शंभू की जगह दशरथ किये जाने के आदेश पारित फरमावें।

उपखण्ड अधिकारी एंव
पदेन सहायक कलक्टर
पीसांगन

Scanned by CamScanner

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु सम्मन जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 ने अपने इकबालिया बयान में निवेदन किया कि प्रार्थी का नाम दुरूस्त किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। राजकीय पेरोकार ने अपने जवाब में निवेदन किया कि प्रस्तुत प्रकरण में राजहित प्रभावित नहीं होता है। प्रार्थी अपना पक्ष साबित करता है तो अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है।

मैने उभयपक्ष बहस सुनी । पत्रावली एंव पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया , मनन किया। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के इकबालिया बयान सरंपच भटसूरी की रिपोर्ट एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है एंव तहसीलदार पीसागंन को आदेशित किया जाता है कि वह **ग्राम नाड तहसील पीसागंन जिला अजमेर अवस्थित खाता संख्या 146 नया 144 के खसरा नम्बर 394 रकबा 0.79 वर्तमान राजस्व रिकार्ड में शंभू पुत्र हरदेव के स्थान पर शंभू उर्फ दशरथ पुत्र हरदेव का इन्द्राज अंकित किया जावे।**

निर्णय आज दिनांक 12.06.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी पीसांगन (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी एंव
पदेन सहायक कलक्टर
पीसागंन

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2019.11.29 18:32:45 IST
Reason: SelfAttested
Location: